बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संoसंo 9/आo–1–21/2016/986(9) दिनांक– 23/09/2016

डाo जैनेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर को दिनांक 18.03.16 को 60,000/–रूपये (साठ हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के धावादल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के आरोप में गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 18.03.16 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस संदर्भ में इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संo–032/2016, दिनांक 19.03.16 दर्ज किये जाने के आरोप में गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 18.03.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. जमानत पर रिहा होने के उपरांत दिनांक 06.06.2016 को डाo सिन्हा द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय, भोजपुर, आरा में योगदान समर्पित किया गया। बिहार सरकार के सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(3)(ii) के तहत डाo जैनेन्द्र कुमार सिन्हा तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुरको उनके योगदान की तिथि (दिनांक 06.06.2016) के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उनका योगदान स्वीकार किया जाता है।

यह देखते हुए कि डाo जैनेन्द्र कुमार सिन्हा को रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के लिए निलंबित किया गया था। उन्होंने अपने विधि सम्मत कार्यो/दायित्वों के निर्वहन के लिए रिश्वत की मांग को एवं रिश्वत की राशि स्वीकार किया। उनका यह आचरण Misconduct की श्रेणी में आता है जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावाली के नियमो का उल्लंघन है। डाo सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जा रही है।

उनके उपर्युक्त आचरण के लिए उन्हें पुनः तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में डाo सिन्हा का मुख्यालय **आरo डीo डीo, पटना** का कार्यालय होगा।

4. निलंबित अवधि में बिहार सरकार के सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के प्रावधानों के तहत डाo सिन्हा को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा बशर्ते कि वे निलंबन अवधि में अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित दर्ज करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
हo/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– संoसंo 9/आo–1–21/2016/986(9) दिनांकः– 23/09/2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेoहo) बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त(वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डाo जैनेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माo मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 01, 02, 03, 08 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23.9.16
सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Notification 2016.docx